

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/पी-85/2021/

दिनांक :

संशोधित आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग ने पत्र क्रमांक : एफ 24 (16) चिस्वा/गुप-3/2021 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8065/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.08.2021 की पालना में Rajasthan Education Institute Of Nursing, Somnath Nagar, Ganeshpura Road Dist. Dausa, Rajasthan को जीएनएम शैक्षणिक सत्र 2020-21 की काउंसलिंग में अस्थाई रूप से 60 सीट पर छात्र आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक आरएनसी/शैक्षणिक/2020/6253 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी पात्र संस्थानों की सूची के क्रम संख्या 69 पर Rajasthan Education Institute Of Nursing Somnath Nagar Ganeshpura Road Dist. Dausa, Rajasthan को 50 सीट आवंटित थी, जिसे निदेशालय के आदेश क्रमांक प्रशि./जनप्र/जी-88(पार्ट-III)/2020/774 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा विभागीय वेबसाईट पर दर्शायी गयी थी।

अतः अब उक्त संस्था को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8065/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.08.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की काउंसलिंग में अस्थाई तौर पर 60 सीटों पर छात्र आवंटन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो कि माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

६०

(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज., जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/पी-85/2021/735

दिनांक : 24/11/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : एफ एफ 24 (16) चिस्वा/गुप-3/2021 दिनांक 15.09.2021 के क्रम में।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी केस के नियुक्ति आदेश की प्रति शीघ्र उपलब्ध करावे ताकि अंतरिम निर्णय को वेकैट कराने की कार्यवाही की जा सके।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
5. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविकट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, दौसा।
7. कोर्ट केस सीट प्रशिक्षण अनुभाग को उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक : एफ 24 (16) चिस्वा/गुप-3/2021 दिनांक 15.09.2021 एवं निर्णय की प्रति।
8. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

७

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज., जयपुर